Digital Education Portal

शिक्षा जगत

सरकारी नौकरी

प्रशिक्षण डायरी

शैक्षणिक खबरों से अपडेट रहने के लिए

हमें फॉलो सब्सक्राइब करें

https://t.me/digitaleducationportal

https://www.facebook.com/Digitaleducationportal

https://twitter.com/deelip_jaiswal

https://bit.ly/36Djsw7

https://educationportal.org.in

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- संतान पालन अवकाश के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22-8-2015, दिनांक 30-9-2015 एवं दिनांक 17 नवम्बर 2015.

—◆—

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा संतान पालन अवकाश से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है ।

2/ यह तथ्य ध्यान में आया है कि :-

(अ) कतिपय स्वीकृतकर्ता प्राधिकारियों द्वारा आवेदकों के संतान की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पूर्व की स्थिति में संतान पालन अवकाश की 730 दिवस की पात्रता होना माना जा रहा है ।

(ब) अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा संतान पालन अवकाश की पात्रता के लिए संतान की संख्या एवं आयु की पुष्टि नहीं की जा रही है ।

3/ उपर्युक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि :-

(अ) संतान पालन अवकाश की अधिसूचना दिनांक 22-8-2015 में नियम 38 ग के उपनियम (1) व (3) का स्पष्ट आशय है कि महिला शासकीय सेवक की संतान की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने तक की अवधि के लिए ही अवकाश की पात्रता है ।

उदाहरण- यदि आवेदिका के संतान की आयु 17 वर्ष 6 माह है तब आवेदिका को अधिकतम 6 माह के ही संतान पालन अवकाश की पात्रता होगी ।

PTO

SUNIT/...Rule2016/Paripatra

(ब) वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17-11-2015 के बिन्दु (अ) में किसी प्रकार के पृथक से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नही होने का आशय संतान के स्वास्थ्य, अध्ययनरत आदि जैसे तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में है । संतान पालन अवकाश की पात्रता के लिए संतानों की संख्या तथा आयु का प्रमाणीकरण अपरिहार्य है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

SUNITA/Rule2016/Paripatra/

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2016

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / F6-1 / 2015 / 2015 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 30/9/15

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :— संतान पालन अवकाश—बारबार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू)।

1. म0प्र0राजपत्र दिनांक 22—8—2015 मे जारी अधिसूचना द्वारा म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 मे नियम 38 (सी) जोडा जाकर राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है। संतान पालन अवकाश के आवेदन, स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से कतिपय जिज्ञासायें समक्ष में आई है। इन जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:—

स.क	बिन्दु	उत्तर
1.	क्या, संतान पालन अवकाश लेने के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया है?	म0प्र0सिविल सेवा (अवकाश) नियम 13 (1) के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र, अवकाश नियमों में वर्णित समस्त प्रकार के अवकाशों के लिए है। अतः यही प्रारूप संतान पालन अवकाश लेने के लिए भी है।
2.	संतान पालन अवकाश की स्वीकृति के लिए किस स्तर पर प्राधिकारिता है ?	अवकाश नियमों में उल्लेखित अवकाश,यथा,अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश तथा मातृत्व अवकाश, आदि के स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासकीय विभागों द्वारा किया

		गया है। अतः संतान पालन अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार, संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये गये अवकाश स्वीकृति के प्राधिकार के अनुसार होगा।
3.	संतान पालन आवकाश अवधि में वेतन की पात्रता क्या होगी ?	अवकाश नियम 38 (सी) के उप पैरा (5) के प्रावधान अनुसार अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
4.	वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को संतान पालन अवकाश की स्थिति में क्या 01 जुलाई से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा ?	अवकाश अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त होता है जो कि अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व का होता है। अतः 01 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रोफार्मा वेतन वृद्धि के रूप में मिलेगी तथा का वास्तविक लाभ अवकाश पश्चात कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्राप्त होगा। इसके परिणामस्परूप आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि परिवर्तित नहीं होगी।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक / F6-1 / 2015 / 2015 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 30/9/15
प्रतिलिपिः–
1. ....

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- संतान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 22-8-2015, एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 30-9-2015,.

—◆—

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम-38(सी) द्वारा राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धरित की गई है । संतान पालन अवकाश के आवेदन स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से समक्ष में आई जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

(अ) संतान पालन अवकाश के आवेदन के समय किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी, आवेदन में उल्लेखित कारण पर्याप्त माना जावेगा ।

(ब) उपर्युक्त अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा अर्जित अवकाश की भांति अर्थात तीन सप्ताह पूर्व ही होगी ।

(स) किसी एक अवसर हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

17/11/15
(उपेन्द्र शर्मा)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

SUNITA//Rule2015/Paripatra/

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 6-1/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

17/11/15

(उपेन्द्र शर्मा)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग